

सोसायटी परियोजना और विशेष स्कूल के बजट

ए-1(ए) पारिश्रमिक

क्रम सं.	व्यय मद	राशि
१	परियोजना निदेशक (१)=(१x१२०००x१२)	रु.१४४,०००
२	फील्ड अधिकारी (२)=(२x८०००x१२)	रु.१,९२,०००
३	लिपिक सह एकाउंटेंट (१)=(१x३०००x१२)	रु.३६,०००
४	स्टेनो/डी ई ओ (१)=(१x३०००x१२)	रु.३६,०००
५	चालक (ड्राइवर) (१)=(१x२५००x१२)	रु.३०,०००
६	सहायक (हेल्पर)/चपरासी (१)=(१x२०००x१२)	रु.२४,०००

७.	डॉक्टर को मानदेय (प्रत्येक २० स्कूलों के लिए एक चिकित्सक) @ रुपये ५००० प्रति माह।	
८.	मास्टर ट्रेनर के लिए मानदेय (एनसीएलपी के हर जिले के लिए एक मास्टर ट्रेनर) रुपये. ५००० प्रति माह.	
	कुल	रु.४,६२,०००

ए-11(ए) कार्यालय और संबंधित व्यय (पुराने एनसीएलपी)

क्रम सं.	व्यय मद	राशि
१	आवर्ती (कार्यालय व्यय)	रु.२,००,०००
२	गैर आवर्ती (केवल एक बार):	रु.३,५०,०००
	(i) वाहन रु. ३,००,०००	
	(ii) फर्नीचर रु. ५०,०००	

A-III अन्य व्यय

१.	सर्वेक्षण (दो बार १०वीं योजना अवधि के दौरान)	रु.२.७५ लाख प्रति जिला प्रति सर्वेक्षण के अनुसार
२.	शिक्षक प्रशिक्षण (प्रत्येक शैक्षिक प्रशिक्षक के लिए दो बार १०वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान)	रु. १५०० प्रति प्रशिक्षण प्रति शिक्षक
३.	जागरूकता विकास: १०वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जिले में जागरूकता विकास अभियान नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।	अधिकतम प्रति वर्ष १.२५ लाख की.

प्रत्येक ५० बच्चों के विशेष स्कूल के लिए वार्षिक बजट

क्रम सं.	व्यय मद	राशि
१	प्रशिक्षकों के लिए मानदेय: (i) (२) शैक्षिक = $(२ \times ४००० \times १२)$ (ii) व्यवसायिक (१) = $(१ \times ४००० \times १२)$ (iii) लिपिक सह एकाउंटेंट (१) = $(१ \times ३००० \times १२)$ (iv) चपरासी / सहायक (हेल्पर) (१) = $(१ \times २००० \times १२)$	रु. ९६,००० रु. ४८,००० रु. ३६,००० रु. २४,०००
२	वजीफा $(१५० \times ५० \times १२)$	रु. ९०,०००
३	किराया, पानी, और बिजली (१०००×१२)	रु. १२,०००
४	शैक्षिक एवं व्यावसायिक माल	रु. १०,०००
५	आकस्मिक व्यय	रु. ४,०००
	कुल	रु. ३,२०,०००